न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 16/283

जैतून आयु बालिग पत्नी नन्हें खॉ जाति मुसलमान निवासी ग्राम बाछौला तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार, नैनवा जिला बून्दी ।
2. आवंटन परामर्शदात्री समिति द्वारा अध्यक्ष उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री कैलाश गुप्ता, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. पैरोकार सरकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 08.11.2017

1. अपीलान्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) बून्दी जिला बून्दी द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.02.2003 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि प्रार्थी तहसीलदार, नैनवा ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम, 1970) का प्रस्तुत कर कथन किया कि अप्रार्थी जैतून पत्नी श्री नन्हेंखॉ निवासी बाछौला तहसील नैनवा को दिनांक 12.06.1999 को ग्राम बाछौला की आराजी खसरा नम्बर 1933 रकबा 8.00 बीघा भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटित की गई । उक्त भूमि के साथ ही उमरदीन आत्मज नन्हेखॉ, मोहम्मद आत्मज रोशन तथा जैतून पत्नी नन्हेखॉ को भूमि आवंटित की गई है यह सभी आपस में पिता–पुत्र व पत्नी हैं जो संयुक्त रूप से रहते है और आवंटी के पिता के खाते में पूर्व से ही 12 बीघा 10 बिस्वा भूमि है इसलिए उक्त आवंटन, आवंटन नियम 20 के विपरीत है ।

3. अतः आवंटी के पक्ष में किया गया आवंटन आदेश दिनांक 12.06.1999 निरस्त फमराया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 25.02.2003 के द्वारा प्रार्थी तहसीलदार, नैनवा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए आवंटी के पक्ष में किया गया आवंटन आदेश निरस्त कर दिया ।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 25.02.2003 से व्यथित होकर आवंटी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त करने एवं अपीलान्ट के पक्ष में किया गया आवंटन आदेश बहाल रखने का निवेदन किया ।

6. अपीलान्ट ने अपील मीमो के साथ भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 05 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में अपनी ओर से पैरवी करने हेतु अपने वकील साहब को नियुक्त कर रखा था और उन्होंने प्रत्येक तारीख पेशी पर आने से मना कर दिया था तथा आवश्यकता होने पर सूचित करने के लिए कहा था परन्तु उनकी ओर से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई इसलिए अपीलान्ट समय पर अपील प्रस्तुत नहीं कर सका था । उक्त निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 22.04.2016 को पटवारी हल्का द्वारा उक्त भूमि से बेदखल करने की कार्यवाही किये जाने पर हुई जिस पर उक्त निर्णय की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि प्रस्तुत प्रकरण में तहसीलदार नैनवा ने आवंटन निरस्ती हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि आवंटी उमरदीन, मोहम्मद, जैतून आपस में पिता–पुत्र व पत्नी हैं तथा पिता के खाते में 12 बीघा 10 बिस्वा भूमि है जो आवंटन नियम 20 कि विपरीत है – उक्त कथन सही नहीं है क्योंकि पक्षकार मुस्लिम धर्म से हैं और मुस्लिम कानून में संयुक्त परिवार तथा पैतृक सम्पत्ति के अधिकार का कोई प्रावधान नहीं है । पिता की सम्पत्ति में पिता के जीवनकाल में पुत्र का कोई वैधानिक अधिकार हिन्दू कानून की भांति नहीं होता है । ऐसी स्थिति में पिता एवं पुत्र का संयुक्त परिवार होना मानकर दोनों की कृषि भूमि को पिता/पति के खाते की भूमि के साथ जोडकर आवंटन खारिज नहीं किया जा सकता । अपीलान्ट को अपीलाधीन आवंटन आदेश द्वारा 08 बीघा भूमि आवंटित हुई है तथा उसके पति के खाते में पहले से 04 बीघा 03 बिस्वा भूमि बताई गई है, ऐसी स्थिति में अपीलान्ट के पास कुल 13 बीघा भूमि असिंचित बजड किस्म होती है जो किसी भी प्रकार से नियम 20 के विपरीत नहीं है । मुस्लिम विधि के अनुसार अपीलान्ट के पिता के पुत्र–पुत्रियॉ– पत्नी, बहिन, भाई आदि में मुस्लिम कानून के अनुसार पिता/पति की मृत्यु के बाद हिस्से अनुसार भूमि का विभाजन किये जाने पर भी अपीलान्ट के हिस्से व खाते में नियम 20 के प्रावधान से अधिक भूमि नहीं होती है । अपीलान्ट आवंटी ने वक्त आवंटन कोई तथ्य नहीं छुपाया है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.02.2003 निरस्त फरमाया जावे तथा आवंटी अपीलान्ट के पक्ष में किया गया आवंटन आदेश दिनांक 12.06.1999 बहाल रखा जावे । उन्होंने अपने कथन की पुष्टि में 2005 आर.बी.जे. पेज 508, 1998 आर.आर.डी. पेज 445, 1994 (1) आर.बी.जे. पेज 69, 2005 आरबीजे पेज 08, 1998

आर.आर.डी. पेज 319 आदि न्यायिक दृष्टांत पेश किये और अपील अपीलान्ट स्वीकार करने का निवेदन किया ।

9. रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील काफी विलम्ब से प्रस्तुत की है और विलम्ब के कोई संतोषप्रद कारण भी दर्शित नहीं किये हैं । आवंटी आपस में पिता–पुत्र तथा पत्नी हैं और संयुक्त परिवार में रहते हैं । संयुक्त परिवार में पहले से ही उनके पास 12 बीघा 10 बिस्वा भूमि है तथा तीनों को 24 बीघा भूमि का और आवंटन कर दिया गया है। आवंटीगण के पास उपलब्ध भूमि एवं आवंटित भूमि का योग 15 बीघा से अधिक होता है जो आवंटन नियम 20 के प्रावधानों के विपरीत है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट मियाद बहार एवं गुणावगुण के आधार पर भी खारिज फरमाई जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एंव अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 05 का अवलोकन किया । अपीलान्ट द्वारा विलम्ब के जो कारण दर्शित किये हैं वह उचित प्रतीत होते हैं । उनके अभिभाषक द्वारा की गई गलती का खामियाजा अपीलान्ट को नहीं दिया जा सकता। इस प्रकार अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

11. प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट ने वक्त आवंटन कोई तथ्य छुपाया हो ऐसा कोई साक्ष्य एवं दस्तावेज पत्रावली में उपलब्ध नहीं है । आवंटी द्वारा प्रस्तुत आवंटन आवेदन पत्र पर विवरण दर्ज है । आवंटन समिति ने आवंटी को भूमि काश्तकार मानकर आवंटन किया है और समस्त प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद ही उक्त आवंटन किया गया है । आवंटी के पति नन्हें खॉ के के खाते में 06 बीघा भूमि आवंटित भूमि है । मुस्लिम विधि में संयुक्त परिवार एवं पैतृक सम्पत्ति का प्रावधान नहीं है । इस कारण मोहम्मद खॉ के जीवनकाल में उसकी भूमि पुत्र एवं परिवारजनों की भूमि में नहीं जोडी जा सकती उसके जीवनकाल में परिवारजनों का उसकी भूमि पर काई अधिकार नहीं है । सेक्सन 52 मुस्लिम विधि – Birth right not recognized – The right of an heir-apparent or presumptive comes into existence for the first time on the death of the ancestor, and he is not entikled until then to any interest in the property to which he would succeed as an heir if he survived the ancestor.

12. अपीलान्ट के पक्ष में किया गया आवंटन, आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटन नियमों को ध्यान में रखते हुए सारे तथ्यों की जॉच कर किया गया है ऐसी स्थिति में उक्त आवंटन को केवल तकनीकी आधार पर ही खारिज नहीं किया जा सकता जो 2005 (1) आरबीज. पेज 08 में दिये अभिमत से साबित है । अपीलान्ट मुस्लिम धर्म से हैं और मुस्लिम कानून में संयुक्त परिवार तथा पैतृक सम्पत्ति के अधिकार का कोई प्रावधान नहीं है । पिता की सम्पत्ति में पिता के जीवनकाल में पुत्र का कोई वैधानिक अधिकार हिन्दू कानून की भांति नहीं होता है । ऐसी स्थिति में पिता एवं पुत्र का संयुक्त पिरवार होना मानकर दोनों की कृषि भूमि को पिता के खाते की भूमि के साथ जोडकर आवंटन खारिज किया है वह त्रुटिपूर्ण है । अपीलान्ट को अपीलाधीन आवंटन आदेश द्वारा 08 बीघा भूमि आवंटित हुई है तथा उनके पति के खाते में पहले से 04

बीघा 03 बिस्वा भूमि बताई गई है, ऐसी स्थिति में अपीलान्ट के पास कुल 12 बीघा 03 बिस्वा भूमि असिंचित बजड किस्म होती है जो किसी भी प्रकार से नियम 20 के विपरीत होना प्रतीत नहीं होता है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.02.2003 निरस्त किया जाता है । अपीलान्ट, आवंटी जैतून पत्नी नन्हे खॉ के पक्ष में ग्राम बाछौला की आराजी खसरा नम्बर 1933 रकबा 8.00 बीघा भूमि का किया गया आवंटन आदेश दिनांक 12.06.1999 बहाल रखा जाता है ।

14. निर्णय आज दिनांक 08.11.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा